लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / अध्या.संवर्ग / संवि. / 4 / ए / 2008/314 भोपाल, दिनांक 22/7/09

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला ....
मध्यप्रदेश

विषयः–अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन के आवेदकों से प्राप्त आवेदन–पत्रों पर कार्रवाई उपरांत कमीपूर्ति के संबंध में

—0—

अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन हेतु विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आवेदनों का मध्यप्रदेश शासन, सकूल शिक्षा विभाग के आदेश/ज्ञाप दिनांक 08.11.05, 21.12.05 एवं 26.04.08 के अंतर्गत परीक्षण उपरांत आपके जिले के निम्न तालिका में अंकित आवेदन के सामने कॉलम–5 में उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की कमियां पाई गई है। ऐसे आवेदकों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र	शिक्षा कर्मी का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम	रा.शा.शि. 1,2,3 से अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संवि. का आदेश संलग्न है या नहीं	रिमार्क
	1	2	3	4	5
1	श्री मसर्रत अमीन उर्दू सहायक अध्यापक शास.प्रा.वि.नलेश्री तराना जिला उज्जैन	जनपद पंचायत, तराना जिला उज्जैन जा.क्र. 3527 दिं. 23.9.08	नगर पालिक निगम बुरहानपुर जिला बुरहानपुर जा.क्र.233 दिं. 24.9.08 शास.खैराती बाजार प्रा.शा.01 शास.प्रा.शा.02 शास.उर्दू प्रा.शाला 02	संविलियन आदेश संलग्न है ।	वर्तमान में जारी अध्यापक संवर्ग की संविलियन नीति में प्राप्त निर्देशों के क्रम में पुरूष आवेदक को पात्रता नहीं होने के कारण प्रकरण अमान्य किया जाता है
2	श्रीमती नादेता जोशी, सहायक अध्यापक शास.प्रा.वि. कन्हैलिया जिला देवास	जनपद पंचायत टोंकखुर्द जिला देवास जा.क्र. 2652 दिं. 31.12.06	जनपद पंचायत देवास जिला देवास जा.क्र.6051 दिं. 27.2.07 शास.प्रा.विद्या. बिजेपुर	संविलियन आदेश संलग्न है ।	जिला अन्तर्गत है
3	श्री सुनील कुमार मिश्रा सहायक अध्यापक(विकलांग) शास.प्रा.क.शाला हर्राखेडा जिला बैरसिया	निरंक	निरंक	निरंक	दोनों निकाय की अनापत्ति प्रमाण पत्रएवंसंविलियन आदेश संलग्न नहीं है
4	श्रीमती निशा गुप्ता स.शि. वर्ग–3 शा.प्रा.शा. कैथोरी जिला विदिशा	जनपद पंचायत बासौदा जिला विदिशा जा.क्र. 2424 दि. 18.09.08	नगर पंचायत औबेदुल्लागंज जिला रायसेन जा.क्र.599 दि. 27.09.08	संविलियन आदेश संलग्न नहीं है ।	संविलियन आदेश संलग्न नहीं है ।

अतः उक्त तालिका में अंकित आवेदक के द्वारा तालिका के कॉलम–5 के अनुसार वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाते है तो (अमान्य) को छोड़कर उनके द्वारा चाहे गये अंतर्जिला संविलियन की अनुमति पर विचार किया जा सकता है। तालिका में दर्शित जिन आवेदकों का संचालनालय द्वारा पूर्व में आदेश, जारी हो चुका है उनके द्वारा कमी पूर्ति हेतु पुनः आवेदन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। साथ ही जिन आवेदकों का जिला अन्तर्गत प्रकरण है वे संविलियन हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करें।

उक्तानुसार कार्रवाई समयसीमा में एक सप्ताह में सुनिश्चित कराएं।

कृते : संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./4/ए/2008/315
प्रतिलिपि:–

भोपाल, दिनांक 22/7/09

1. निज सचिव मा.मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
2. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उक्त तालिका अनुसार आपके जिले से संबंधित आवेदकों को तालिका के कॉलम–5 की स्थिति से अवगत कराएं।
4. संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।
5. कंप्यूटर समन्वयक स्थानीय की ओर आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

कृते : संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र0/शि.क./ए/संवि./16-7/2009/316

भोपाल, दिनांक 22/7/09

:: आदेश ::

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अतंर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई. डी. क्रमांक	संस्था/जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती प्राची रत्नावत अध्यापक शास.बा.मा.वि. कयामपुर जिला मन्दसौर	BO5634	23190801801	जिला पंचायत मंदसौर जिला मंदसौर जा.क्र. 655 दि. 12.2.08	जिला पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र. 8696 दि. 17.07.09 शा.उन्नत. मा.वि. छावली	23260410201

संविलियन की शर्तें –

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेगें ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैद्यता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से

अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।

6 संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 मे वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 मे वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।

7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।

8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।

9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरूद्व कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व होने अथवा उक्त शर्तो की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।

10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाई में भी यह शर्त लागू होगी ।

11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

(हस्ताक्षर) 22/7/09
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 22/7/09

पृ./क्र0/शि.क./ए/संवि./16-7/2009/317
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।

(हस्ताक्षर) 22/7/09
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश